कि इस मसले के दो पक्ष है। एक पक्ष तो यह है कि कैंसर के इलाज के लिए सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है, कितने अनुसंधान करने पड़ते है और दूसरा पक्ष यह है कि जब भी यह सवाल उठता है तो किसान और मजदूर की बात भी उठती है। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से बात करके कोई ऐसी कैश क्रॉप बताई गई है, महोदय, कैश क्रॉप के रूप में ही किसान उसको अपनाता है क्योंकि उससे उसको पैसा मिलता है, मजदूर उस को अपनाता है क्योंकि उसे मेहनताना मिलता है। मगर क्या जहर उगलना, जहर बोना या जहर की उपज करना जरूरी है? तो क्या कृषि मंत्रालय के साथ विचार कर के उस की जगह कैश क्रॉप का संदेश देने का आपने कोई रास्ता निकाला है जिससे कि भारत तम्बाकू से मुक्ति प्राप्त कर सके?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री दयानन्द सहाय ने कहा, यह प्रश्न रिवेन्यु से संबंधित था इसलिए वित्त मंत्रालय के पास आया था। इससे जुड़े हुए प्रश्न कृषि मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन चूंकि मेरे संज्ञान में यह बात थी कि प्रधान मंत्री जी ने आन्ध्र प्रदेश में जाकर इस प्रकार का परामर्श वहां के किसानों को दिया था, इसलिए में कुछ विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं हालांकि वह मेरा विभाग या मंत्रालय नहीं है, कि कृषि मंत्रालय इस पर विचार कर रहा होगा और वह इस बात को रखेगा, अपने परामर्श को वहां पर रखेगा कि और क्या ...व्यवधान...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: तम्बाकू की पैदावार आपके नोटिफिकेशन के कारण बंद होगी, इसलिए सुझाव आपको देना है, आपको मदद करनी है।

श्री यशवंत सिन्हा: हमको यह सुझाव नहीं देना है कि तम्बाकू के बदले वह वहां पर क्या उगाएं क्योंकि वहां कि मिट्टी कैसी है, वहां आबोहवा कैसी है, उसको देखते हुए वहां कौन-सी कृषि की दूसरी पैदावार हो सकती है, यह तो कृषि मंत्रालत तय करेगा।

Privatisation of Duty Drawback Disbursals

*124. SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether garment exporters are demanding privatisation of duty drawback disbursals for speedy settlement;

(b) whether there are more than 23,000 cases of drawback claims pending for settlement as on 25th April 2001, apart from more than 2150 Duty Entitlement Pass Book (DEPB) cases;

(c) whether the delay in settlement of drawback claims creates cash-flow problems for exporters; and

(d) if so, what relief measure Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN): (a) to (d) A statement is annexed.

Statement

(a) No, Sir.

(b) to (d) Over 50,000 claims for drawback are presented every month and above 40,000 are settled on an average every month. In order to mitigate any financial hardship to the exporters due to delays in settlement of drawback claims, a special drive is launched annually in the months of April and May to clear outstanding drawback claims. During this year, over 1.77 lakh claims involving duty drawback of Rs. 11.50 crore were settled in April and May. The clearance drive including the clearance of even the current claims is being continued using computers. The scheme of processing of drawback claims and its disbursal is fairly streamlined and most of the claims are now processed on EDI system and if all the documents/ declarations are in order, the claims can be settled within the targeted time of 72 hours. Instructions have been issued to Commissioners/Chief Commissioners to regularly monitor for speedy settlement and educate exporters about the basic requirements for settlement of any claim.

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Sir, according to the trade practice in the garment export industry, there is a small margin because the goods are exported at below the production cost, and in most of cases, the exporters solely banks on the Government's incentives like duty drawback and export replenishment licence scheme. The exporter is already under debt when the goods leave the letter of credit, at high rate of interest. Therefore, it is crucial that he gets the dues from the Government in time. Sir, part (a) of my question is this. The Minister has stated only about the technical capability of the Electronic Data Infrastructure (EDI) system to settle claims within 72 hours. What is the relevance of this capability

when you require a set of 17 documents to be filed with the claim, when only one crucial document, i.e. a copy of the shipping bill is enough to substantiate the claim in all respects?

Sir, part (b) of my question is this. During the special clearance drive launched annually in April-May, as the Minister admits, why is there such a huge backlog of 23,000 cases as on 25th April, 2001, as reported in the *Economic Times*? When computerised processing of shipping bills is in vogue at 19 ports.

MR. CHAIRMAN: Questions are put; not read out. आप क्वश्चन पूछिए, लम्बी बात करने की जरूरत नहीं है।

SHRI K.B. KRISHNA MURTHY: Why is the Government delaying the introduction of bank settlement plan for the drawback scheme?

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: Sir, so far as the hon. Member's question regarding the 23,000 cases of drawback claims pending for settlement as on 25th April, 2001 is concerned, I would like to inform him that the Government has taken many steps to clear these claims within 72 hours, i.e. three days, by introducing the EDI system. The exporters are also required to furnish the documents in proof of whether they have incurred any loss or paid any duty of excise and customs. They had not furnished the documents properly. hence, our Government had taken a decision to start a special drive, named 'duty drawback' arrears clearance drive on 24th April, 2001. One lakh sixty-seven thousand three hundred and ninety two claims of duty drawback were pending during April-May, 2000. As many as, 1,77,759 claims were processed and Government disbursed an aomunt of Rs. 1149 crores to the exporters ....*(Interruptions)*...

During April-May, 2001, we have cleared 11,144 cases. As on 15th July, the amount cleared is Rs. 325 crores. We have cleared 1,759 claims. The Government is taking all steps to clear all the dues. Wherever the exporters furnish complete documents, we have cleared all of them. There is a great difficulty for the Government because of non-furnishing of the required documents. They don't give the proper excise duty; they don't submit the documents with regard to MODVAT; there is non-submission of sender's certificate, freight,

insurance and commission details; queries and replies are not submitted properly by the exporters; value verification in respect of samples drawn and its test papers are not furnished. The general guidelines contain all the details of the required documents, monetary details and other details like fixation of duty drawback. These information are not properly furnished by them. This is the reason why they are not given the duty drawback in time. Now the Government is taking steps. If they give the proper documents within 72 hours, we would give the duty drawback. If the documents are supplied by the Chartered Accountant, then, within a month, it is released. The Government is taking all steps to clear the duty drawback claims.

SHRI K. B. KRISHNA MURTHY: Sir, how many pending cases are there in respect of duty drawback? When would they be cleared? The export industry is passing through a very bad phase this time. Today, all the Members must have received a booklet, which mentions the exporters' fast-unto-death. This details the problems the garment industry is going thorugh. So, I would like to know the time by which the duty drawback claims would be settled. Can you assure us that within such and such day you would do this?

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: Anyway, they are to be cleared. If they furnish all the documents properly, we would clear them.

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडर: सभापति महोदय, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक महीने में 50,000 क्लेम्स पेश होते हैं और 40,000 क्लेम्स सैटल होते हैं और 10,000 क्लेम्स हर माह बकाया चलते हैं। एक साल के बाद स्पेशल ड्राईव होता है, फिर भी क्लेम्स रह जाते हैं। हमारा एक्सोर्ट जो नैग्लिजिबल होता जा रहा है, क्या मिनिस्टर साहब उसको बढ़ावा देने के लिए कोई जतन करेंगे ताकि एक्सपोर्टर्स उत्साहित हों? जो 72 घंटे का इनका टाइम है, उसको एक हफ्ता करके क्या आप यह गारंटी देंगे कि ये केस सैटल हो जाएंगे ताकि एक्सपोर्टर्स को उत्साह मिले और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके?

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: Our exports are more than 22 lakhs in number. The number of duty drawback claims this year is 21,578. The Government is taking all steps to promot the exports. We are clearing all the dues in respect of duty drawback claims.

सरदार बलविन्दर सिंह भुंडरः चेयरमैन साहब, मेरा सवाल कुछ और है और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैंने टाइम लिमिट के बारे में प्रश्न पूछा था। मैं फिगर्स बता सकता हूं कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। महोदय, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ये आगे निकल गए हैं.....(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतमः वे कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कर रहे हैं।

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: The Government is carefully viewing the matter. Since they are not properly furnishing their claims, it is not possible to clear them within a time limit. I would give the details. Sir, as I have already submitted, those who are not submitting their full documents, they will not get the duty drawback in time. Sir, if it is delayed for more then three months, we can pay 24 per cent on the duty drawback amount. Therefore, they can even claims interest on their amount of duty drawback if they submit their full documents in time. The Government has taken a full view in this regard.

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, I would like to point out to the hon. Minister that in the last two or three years there has been a reduction in production and export of garments. I would like to know the loss of revenue because of this and how many people have been rendered unemployed.

SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN: Sir, regarding this question, the hon. Member can give a separate notice. I do not have the particular figure now. But the Government will take all steps to improve our exports. Sir, there are no figures available with me with regard to loss of revenue now.

श्री मूल चन्द मीणाः चेयरमैन सर, ड्राबैक एक्सपोर्टर्स और कस्टम अधिकारियों के बीच में एक बहुत बड़ा करप्शन का सिस्टम है। इसके अंदर एक्सपोर्ट के माध्यम से जो सामान बाहर भेजा जाता है और क्वालिटी खराब होते हुए भी उसका मूल्य ज्यादा लगाकर ज्यादा ड्राबैक वसूल कर लिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं हर साल कस्टम अधिकारी और एक्सपोर्टर्स मिलकर करते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों के अंदर कितने ऐसे केसेज पाए गए जिसके अंदर कस्टम कर्मचारी और एक्सपोर्टर्स ने मिलकर फर्जी ड्राबैक प्राप्त कर लिया, पैसा ले लिया और दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि पिछले साल एक पेन की एक कम्पनी ने एक्सपोर्ट के लिए पेन भेजे और 25 लाख पेन भेजने के लिए उसने अपना सेगमेंट पेश किया,

जबकि उसके अंदर 25 हजार पेन थे। तो क्या ऐसे केसेज के पीछे कस्टम डिपार्टमेंट में जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है और एक्सपोर्टर्स ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि कई इस प्रकार के दृष्टांत हमारे ध्यान में आए हैं जहां पर कि जो हमारे निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स है उन्होंने सही सामान बाहर नहीं भेजा और खास करके गारमेंट सैक्टर में यह ज्यादा है जिसमें सही सामान नहीं भेजा गया। लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक बहुत ही आकर्षक है इसलिए इसका लाभ उठाकर वह अन-डयू गेन लेना चाहते हैं। विभाग सतर्क है दोनों तरफ से अपने अधिकारियों के प्रति भी और ऐसे एक्सपोर्टर्स के प्रति भी और हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं ताकि ऐसे केसेज को हम पकड़ सकें और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको समुचित सजा दिला पाएं। जो आंकड़े माननीय सदस्य ने पूछे हैं वह तत्काल हमारे पास नहीं है। मैं इन आंकड़ों को उनके पास भिजवा दूंगा और उन्होंने जिस खास केस के बारे में बात की है उसके बारे में भी डिटेल्स मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मूल प्रश्न है उसके चार भाग हैं, उन चारों भागों में से किसी का भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। पहला भाग यह है कि क्या एक्सपोर्टर्स ने इस व्यवस्था का निजीकरण करने की कोई दरख्वास्त दी है? इसका कोई उत्तर नहीं है। दूसरा है कि क्या 25 अप्रैल को 23 हजार केसेज पेंडिंग थे इसका भी कोई उत्तर नहीं है। मान्यवर, इसी प्रकार से नकदी प्रवाह में उनको क्या समस्याएं आती हैं इसका भी कोई उत्तर नहीं है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को कम से कम यह बात तो निर्देशित की जाए कि जो प्रश्न हों उनका उत्तर तो आए। उसके बाद उन्हें जो अपने भाषण देने हैं या अपनी कार्रवाइयों का दर्शन कराना है वह कराएं, वह बात सही है। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि जो जटिल व्यवस्था फार्म आदि भरने की और जो इतने ज्यादा फार्म भरे जाते हैं उस जटिल व्यवस्था को कम करने की कोशिश क्या आपका विभाग करेगा?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति जी, पहले जो माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है उसके उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगा कि पार्ट 'ए' जो क्वेश्चन का है कि प्राइवेटाइजेशन ड्यूटी ड्रॉबैक होगा कि नहीं, उसमें हमने साफ कहा है "नो सर"। अब इससे स्पष्ट और क्या उत्तर हो सकता है, मैं नहीं जानता।

जहां तक पार्ट बी, सी और डी का प्रश्न है जिसमें 23 हजार केसेज की बात कही गई है, इसमें हमने साफ कहा है कि During this year, over 1.77 lakh claims involving

a duty drawback of Rs. 1,150 crores were settled in April and May. तो जाहिर है कि 23 हजार से ज्यादा केसेज पैंडिंग हैं। यह सूचना हम सदन के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, यह मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही नहीं है।

जहां तक उनके पार्ट 'बी' का प्रश्न है कि जो जटिलता है उसको हम दूर करेंगे या नहीं तो अभी माननीय सदस्य मीणा जी ने सवाल किया, उसको साथ जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि विभाग निरन्तर एक प्रकार से स्ट्रगल कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दुरुपयोग को रोका जाए और जो सही लोग हैं, उनको सही समय पर, सही ड्राबैक मिल जाए। इसके बीच में हमने इसके सिम्पलीफिकेशन के लिए कई प्रकार के कदम उठाये हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सिर्फ जटिलता ही उसमें है, उसमें सरलता नहीं है। उसमें सरलता है और जितना सरल हम इसको बना सकते हैं उतना सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से इसको इतना सरल नहीं बनायेंगे कि जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं वे खुले रूप से इसका दुरुपयोग कर सकें।

लाला लाजपत राय: सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब ड्राबैक के लिए डाक्युमेंट सबमिट किए जाते हैं तो जो डीलिंग आफीसर हैं वे उसके अंदर कुछ डिसक्रिपेंसी निकालते हैं। जब एक बार डिसक्रिपेंसी निकालते हैं और उसके बाद डाक्युमेंट ठीक करके सबमिट किए जाते हैं तो फिर दूसरी डिसक्रिपेंसी निकालते हैं। उसके बाद तीसरी डिसक्रिपेंसी निकालते हैं। इससे करप्शन बढ़ता है। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उनकी नॉलेज में ऐसे कितने केसेज आए हैं? उनके बारे में क्या उपाय किया जा रहा है?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट इस प्रकार की सूचना है तो वह उसे मेरे ध्यान में लाएंगे तो मैं निश्चित रूप से उन बातों को देखूंगा। लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी मंत्री ने कहा कि अक्सर दिक्कत इस बात से होती है कि जितनी सूचना हमें उपलब्ध करानी चाहिए उतनी सूचना जो निर्यातक हैं वह हमें उपलब्ध नहीं कराते हैं, इससे विलम्ब होता है। लेकिन मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता हूं कि हमारे यहां भी जो लोग त्रुटि निकालते होंगे, उसके पीछे भी कोई मंशा होगी और मैं समझता हूं कि इस के बारे में सतर्कता ही इसका उत्तर है और हम सबको मिलकर इसका प्रयास करना है।

*125. *[The Questioner (Shri Shatrughan Sinha) was absent. For answer vide page 30 infra]*